राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 31 मई, 2016

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15 की उप–धारा (4) और धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और ये समस्त खनिजों पर लागू होगें।

(3) ये 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **परिभाषाएं** .– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) अभिप्रेत है ;

(ii) "संपरीक्षक" से न्यास द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य का महालेखाकार सम्मिलित है ;

(iii) "हिताधिकारी" से क्षेत्र में जिम्मे ली गयी खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र और व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसमे राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रशासन बोर्ड (रा.प.स्वा.प्र.बो.) के उपबंधों के अधीन अनुग्रहपूर्वक संदायों के लिए पात्र मरीज और उनके विधिक वारिस सम्मिलित हैं ;

(iv) "अंशदान" से जिले में मुख्य या गौण खनिज रियायतधारक से संगृहीत किये जाने वाला ऐसा अंशदान अभिप्रेत है जो केन्द्रीय या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;

(v) "जिला मजिस्ट्रेट" से जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(vi) "शासी परिषद्" से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के समस्त न्यासियों से मिलकर बनने वाली परिषद् अभिप्रेत है ;

(vii) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(viii) "न्यास" से अधिनियम धारा 9ख की उप–धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास अभिप्रेत है ;

(ix) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष या 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि का भाग अभिप्रेत है; और

(x) "जिला परिषद्" से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित जिला परिषद् अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन समनुदेशित किया गया है।

3. न्यास का नाम .– न्यास, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास(जिले का नाम) के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय संबंधित जिले के जिला परिषद् के कार्यालय में अवस्थित होगा।

4. न्यास के उद्देश्य .– जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का उद्देश्य, जिले में खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और फायदे के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति में कार्य करना होगा।

5. नियुक्ति और घोषणा .– (1) अधिनियम की धारा 9ख के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले के लिए गठित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, निम्नलिखित न्यासियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

क्र. सं.	नाम	न्यास के शासी परिषद् में न्यासियों के पदनाम
(i)	जिला प्रमुख	अध्यक्ष (न्यासी)
(ii)	जिला मजिस्ट्रेट	उपाध्यक्ष (न्यासी)
(iii)	जिले में विधान सभा के समस्त सदस्य	न्यासी

(iv) जिला मुख्यालय पर या जिले में पदस्थापित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता और जिला मुख्यालय में एक से अधिक खनि अभियन्ता के पदस्थापित होने की दशा में खनि अभियन्ता–I । जिला मुख्यालय पर या जिले में कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थापित अन्य खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता भी सदस्य होगा।	सदस्य सचिव
(v) उप वनपाल	सदस्य (न्यासी)
(vi) कोषाधिकारी	सदस्य (न्यासी)
(vii) कार्यपालक अभियन्ता (लो.नि.वि.)	सदस्य (न्यासी)
(viii) जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
(ix) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य (न्यासी)
(x) जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
(xi) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिले में कार्य कर रहे खान स्वामियों के संगमों के अध्यक्ष, पाँच तक।	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xii) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि, पाँच तक।	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xiii) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनन कर्मकारों के प्रतिनिधि, दो तक	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xiv) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xv) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिले में कार्य कर रहे तकनीकी खनन व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xvi) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट न्यासी

(2) न्यास के नामनिर्दिष्ट न्यासी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगें।

(3) शासकीय पदनाम से नियुक्त किये गये न्यासी उस कालावधि जिसके दौरान वे पद धारित कर रहे हैं, न्यासी के रूप में बने रहेंगे और उन्हें न्यासी के रूप में अस्तित्व में नहीं समझा जायेगा, यदि वे एक बार उस पद को धारण करने से प्रवरित हो जाते हैं जिसके आधार पर वे इस प्रकार नियुक्त किये गये थे और पद में उनके उत्तरवर्ती द्वारा ऐसा पद अर्जित करने की तारीख से उनके स्थान पर न्यासी के रूप में नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

(4) नामनिर्दिष्ट न्यासियों के लिए नियुक्ति की अवधि, न्यासियों के रूप में उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी और सरकार इसके पश्चात् ,उनकी नियुक्ति किसी अन्य अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगी या उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु ऐसे नामनिर्दिष्ट न्यासियों की अवधि किसी भी दशा में प्रत्येक तीन वर्ष की तीन अवधियों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि नामनिर्दिष्ट न्यासी जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यह भी कि खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय के प्रतिनिधि की संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश की जायेगी।

(5) सरकार किसी भी समय, किसी भी प्रवर्ग में और ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे न्यासियों की संख्या बढ़ा सकेगी।

(6) सरकार किसी भी समय किसी भी न्यासी को हटा सकेगी और स्वविवेक से नामनिर्दिष्ट न्यासी के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। सरकार द्वारा इस प्रकार हटाया गया न्यासी ऐसे निष्कासन की तारीख से न्यासी नहीं रहेगा।

(7) न्यासियों का न्यास निधि पर कब्जा होगा, जो उससे संबंधित इसमें घोषित और अन्तर्विष्ट शक्तियों और उपबन्धों के अध्यधीन होगा और न्यासियों को न्यासी के रूप में अवधि के दौरान, किसी भी समय या समयों पर अन्य किसी न्यास के उपबन्धों द्वारा या अन्यथा इस आशय से कि उसे न्यासियों द्वारा या उनकी ओर से न्यास निधि को अभिवृद्धि

के रूप में धारित किया जायेगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, कोई सम्पत्ति स्वीकार करने की शक्ति होगी।

6. न्यास का प्रबंध.– न्यास का प्रबंध शासी परिषद् में निहित होगा, जो न्यास के नामनिर्दिष्ट न्यासियों को सम्मिलित करते हुए समस्त न्यासियों से मिलकर बनेगी। तथापि, न्यास का दिन–प्रतिदिन का प्रबंध, नियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट प्रबंध समिति द्वारा संचालित किया जायेगा। तथापि, सरकार किसी भी समय प्रबंध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चय ले सकेगी। शासी परिषद् और प्रबंध समिति की शक्तियां और कृत्य वे होंगें जो इन नियमों में अन्तर्विष्ट हैं।

7. **न्यासियों द्वारा विनिश्चय** .– (1) न्यासियों के समस्त विनिश्चय शासी परिषद् की बैठक में लिये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।
(2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा और यदि अपेक्षित हो तो मतदान द्वारा लिये जायेंगे। बराबर रहने की दशा में, बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
(3) न्यासी, शासी परिषद् और प्रबंध समिति, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों इत्यादि के अनुसार कार्य करेंगे।

8. **शासी परिषद् के कृत्य और शक्तियां** – शासी परिषद्,–

(i) न्यास के कृत्यकरण के लिए वृहद नीतिगत ढाँचा अधिकथित करेगी और समय–समय पर अपने कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी ;

(ii) न्यास के लिए वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट बनायेगी और इनका अनुमोदन करेगी। वार्षिक कार्य योजना वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम एक मास पूर्व शासी परिषद् द्वारा तैयार और अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में स्कीमों और परियोजनाओं की उनके प्रायोगिक उपबंधों सहित सूची अन्तर्विष्ट होगी :

परन्तु यदि किसी भी कारणवश, शासी परिषद् विनिर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक योजना और बजट तैयार नहीं करती है और उसका अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यक्ष न्यास की वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार करवायेगा और उसका अनुमोदन करेगा। इस

प्रकार तैयार किया गया बजट, शासी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से तैयार और अनुमोदित किया गया समझा जायेगाः

परन्तु यह भी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय, पूर्व दायित्वों और प्रतिबद्धताओं के योगफल का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए और परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए, पूर्व दायित्वों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की गयी नयी स्कीमों का योगफल किसी भी दशा में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित अंतर्वाह तीन गुणा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) उपलब्ध न्यास निधि से, न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अन्य व्ययों का ऐसी रीति में, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, अनुमोदन करेगी।

(iv) प्रबंध समिति की सिफारिशें अनुमोदित करेगी। पूर्व वर्ष की समप्ति के 60 दिवस के भीतर न्यास की वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षित लेखों को, अनुमोदित करेगी।

(v) न्यास की वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षित लेखों को, पूर्व वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर अनुमोदित करेगी।

(vi) जिले में खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को मौद्रिक फायदे वितरित करेगी।

9. **शासी परिषद् की बैठक.**– (1) शासी परिषद् की बैठक जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(2) शासी परिषद् की बैठक अध्यक्ष की वांछा पर बुलायी जायेगी।

(3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

10. **प्रबंध समिति** .– न्यास के कार्य प्रबंध समिति द्वारा संचालित किये जायेंगे, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, –

क्र.सं.	नाम	प्रबंध समिति में पदनाम
1	2	3
(i)	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष

(ii) जिला मुख्यालय पर या जिले में पदस्थापित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता और जिला मुख्यालय में एक से अधिक खनि अभियन्ता के पदस्थापित होने की दशा में खनि अभियन्ता–I । जिला मुख्यालय पर या जिले में कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थापित अन्य खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता भी सदस्य होगा।	सदस्य सचिव
(iii) उप वनपाल	सदस्य
(iv) कोषाधिकारी	सदस्य
(v) लोक निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियन्ता	सदस्य
(vi) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(vii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
(viii) जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(ix) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में पदस्थापित लेखा कार्मिक	सदस्य
(x) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य कोई अधिकारी / व्यक्ति	सदस्य

11. प्रबंध समिति की बैठकें .– प्रबंध समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी और यह प्रबंध समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय के अनुसार बुलायी जायेगी।

12. प्रबंध समिति के कृत्य और शक्तियां .– प्रबंध समिति, --

(i) न्यास के हितों के संरक्षण के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी ;

(ii) अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार संबंधित खनिज रियायतधारकों से अंशदान निधि का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेगी;

(iii) न्यास के क्रियाकलापों के लिए मास्टर प्लान / विजन दस्तावेज तैयार करेगी ;

(iv) प्रस्तावित स्कीमों और परियोजनाओं के साथ न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करेगी ;

(v) वार्षिक योजना और अनुमोदित स्कीमों और परियोजनाओं के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगी और उसे सुनिश्चित करेगी ;

(vi) परियोजनाओं को मंजूरी देगी और उस प्रयोजन के लिए न्यास निधि को निर्मुक्त और संवितरित करेगी ;

(vii) न्यास निधि को सावधानीपूर्वक रीति में संचालित करेगी और न्यास के नाम एक बैंक खाता खोलेगी और ऐसे खाते को संचालित करेगी ;

(viii) न्यास निधियों के उपयोग की प्रगति को मानीटर करेगी ;

(ix) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साठ दिवस के भीतर, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे इसके अनुमोदन के लिए शासी परिषद् के समक्ष रखेगी ;

(x) ऐसे समस्त कार्य करेगी जो न्यास के निर्बाध कार्यकरण और प्रबंध के लिए आवश्यक हों ; और

(xi) न्यास के कार्यकरण के लिए प्रकिया अधिकथित करेगी :

परन्तु ऐसी प्रकिया के कियान्वयन से पूर्व, उसे राज्य सरकार से अनुमोदित करवाया जायेगा।

13.न्यास निधि.-- (1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास की न्यास निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(i) सरकार द्वारा किया गया 1,000/– रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का प्रारम्भिक परिनिर्धारण ;

(ii) सरकार से या किसी अन्य अभिकरण, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त कोई अनुदान, अंशदान या अन्य धन ;

(iii) प्रत्येक खनिज रियायतधारक, उसे आवंटित/अनुज्ञात क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये और/या उसके भीतर, उसके द्वारा उपभुक्त किसी खनिज के संबंध में, निम्नलिखित प्रकार से अंशदान निधि का भुगतान करेगा :–

(क) प्रमुख खनिजों की दशा में, खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान को अंशदान) नियम, 2015, समय–समय पर यथा संशोधित, में जैसा विहित हो ; और

(ख) गौण खनिजों की दशा में, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 समय–समय पर यथा संशोधित, की प्रथम अनुसूची के निबंधनों में संदत्त रॉयल्टी (उच्च पूर्णांक के किसी पूर्णांकित अंश सहित) का दस प्रतिशत ;

(iv) निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज और उससे व्युत्पन्न कोई अन्य आय ; और

(v) न्यास की अन्य समस्त सम्पत्तियां और उससे व्युत्पन्न अन्य आय या उसकी मूल्य वृद्धि।

(2) न्यास निधि के लेखे संदाय, ई–संदाय के माध्यम से, एक पृथक उप–शीर्ष के अधीन रॉयल्टी के साथ अग्रिम रूप से संगृहीत किये जायेंगे और न्यास के खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे और यदि रॉयल्टी के निर्धारण के समय पर रकम का कोई अंतर प्रोद्भूत होता है तो उसे न्यास के खाते में तुरन्त निक्षिप्त कर दिया जायेगा।

(3) गौण खनिजों की दशा में, न्यास निधि के लिए अंशदान जिले में प्रदान किये गये अधिक रॉयल्टी संग्रहण संविदा/रॉयल्टी संग्रहण संविदा के ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जायेगा। ऐसे मामले में, न्यास निधि के अशदान की मासिक किस्त न्यास के खाते मे सीधे ही निक्षिप्त की जायेगी।

(4) जहां कोई खनन पट्टा एक से अधिक जिले में आता है, वहां जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के प्रति अंशदान उस खाते में निक्षिप्त किया जायेगा, जो ऐसे खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके कार्यालय में रॉयल्टी का निर्धारण किया जाता है। तथापि, इस प्रकार प्राप्त की गयी कुल रकम प्रत्येक जिले में आने वाले क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक रूप से आवंटित कर दी जायेगी।

(5) संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि के अंशदान के संग्रहण, समाधान और प्रति सत्यापन के लिए उत्तरदायी होंगें और इसे न्यास द्वारा विनिश्चित किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में निक्षिप्त किया जायेगा। वे, लेखा प्राप्तियों और संवितरण के समुचित रख–रखाव के लिए वित्तीय सलाहकार, नोडल अधिकारी को नियतकालिक सूचना भेजेंगे।

14. न्यास निधि का संचालन .– न्यास निधि केवल अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से रखी जायेगी और खाता अध्यक्ष और कोषाधिकारी या प्रबंध समिति के किसी सदस्य, जिसे प्रबंध समिति प्राधिकृत करे, के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन संचालित होगा। प्रबंध समिति ऐसी निधि की लेखा बहियों का रख–रखाव करेगी।

15. जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का विस्तार .– (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (प्र.मं.ख.क्षे.क.यो.) और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमें, संबंधित जिलों के जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास द्वारा न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करते हुए कियान्वित की जायेंगी। प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के समग्र उद्देश्य होंगे, –

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कियान्वयन करना, और ये परियोजनाएं/कार्यक्रम, राज्य और केन्द्रीय सरकार की वर्तमान में चल रही स्कीमों/परियोजनाओं की पूरक होंगी ;

(ख) खनन जिलों में पर्यावरण, व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्तर पर, खनन के दौरान और उसके पश्चात् होने वाले प्रतिकूल प्रभावों में कमी करना/उनका शमन करना; और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ जीविका सुनिश्चित करना।

(2) प्रभावित क्षेत्रों और, प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य और केन्द्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति निम्नलिखितानुसार होंगे:

I प्रभावित क्षेत्र :

(क) प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र– जहां प्रत्यक्ष खनन संबंधी संक्रियाएं जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोट करना, सज्जीकरण और अपशिष्ट व्ययन (अत्यधिक भरा हुआ कचरे का मैदान, अपशिष्ट युक्त तालाब, परिवहन कारिडोर इत्यादि) इत्यादि अवस्थित हों।

(क) ग्राम और ग्राम पंचायतें जिनके भीतर, खानें अवस्थित और क्रियाशील हों। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम, खण्ड या जिले या राज्य में भी विस्तारित किये जा सकेंगे।

(ख) किसी खान या खानों के समूह के ऐसे अर्धव्यास के भीतर का कोई क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा इस बात को विचार में लाये बिना कि यह संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले में आता है या नहीं, विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ग) ग्राम, जिनमें खानों द्वारा विस्थापित किये गये परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा, फिर से बसाया गया है/पुनर्वासित किया गया है।

(घ) ऐसे ग्राम, जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों पर प्रमुखता से निर्भर हैं और जो परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार और पारम्परिक अधिकार रखते हैं, उदाहरण के लिए, चराई के लिए, गौण वन उपजों के संग्रह के लिए इत्यादि, प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र माना जाना चाहिए।

(ख) अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र – वे क्षेत्र जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन संबंधी सक्रियाओं के चलते आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। खनन के मुख्य नकारात्मक प्रभाव जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता में क्षय, झरनों की कमी और खनन संक्रियाओं, खनिजों का परिवहन, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर बढ़े हुए बोझ के कारण जलधारा प्रवाह में कमी से हो सकते हैं और भू–जल के ह्रास, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकते है।

(ग) न्यास खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा ऐस प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और संधारित करेगा।

II प्रभावित व्यक्ति :

(क) निम्नलिखित को प्रत्यक्षतः प्रभावित व्यक्तियों के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए :–

(क) 'प्रभावित परिवार' जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ग) के अधीन परिभाषित है।

(ख) 'विस्थापित परिवार' जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित है।

(ग) कोई अन्य जो संबंधित ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से परिलक्षित किया गया है।

(ख) खनन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो खनन की जाने वाली भूमि पर विधिक और वृत्तिक अधिकार रखते हैं, और वे भी जो भोगाधिकार और पारम्परिक अधिकार रखते हों।

(ग) प्रभावित परिवार, जहां तक संभव हो, ग्राम सभा के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से परिलक्षित किये जाने चाहिए।

(घ) न्यास, राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रशासनिक बोर्ड के उपबंधों के अधीन पात्र मरीजों और उनके विधिक वारिसों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका संधारण करेगा।

(3) निधि का उपयोग .–

(i) न्यास नीचे दी गयी सूची के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलाप करेगा :–

(क) उच्च पूर्विकता वाले क्षेत्र– निधि का कम से कम साठ प्रतिशत इन शीर्षो के अधीन उपयोग किया जायेगा :

(क) पेयजल की आपूर्ति – केन्द्रीयकृत शोधन प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र, पेयजल के लिए एकल आधार सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए स्थायी/अस्थायी जल संवितरण तंत्र, जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाइप बिछाना।

(ख) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय .– बहिः स्राव उपचार संयंत्र क्षेत्र को जलधाराओं, झीलों, तालाबों, भू–जल क्षेत्र में अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन संक्रियाओं द्वारा कारित ध्वनि, वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने और कचरा, खान जल–निकास की प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियों के लिए उपाय, और चालू या परित्यक्त खानों के लिए उपाय, और खनन क्षेत्रों का पुनःस्थापन, पुनरूद्धार और पुनर्वासन, और पर्यावरण के अनुकूल और खानों के सतत विकास के लिए अपेक्षित अन्य कोई वायु, जल और सतह प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र विन्यास।

(ग) स्वास्थ्य देखभाल -- प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिए, किन्तु ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाये जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक स्टाफ, उपकरण और आपूर्ति की व्यवस्था पर भी जोर दिया जाना चाहिए, –

(i) उस विस्तार तक, स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्रीय सरकार की विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ अभिसरण में प्रयास पूरक और कार्य करने के लिए होने चाहिए। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध दक्षता को खनन से संबंधित रोगों और बीमारियों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना तैयार करने में उपयोग किया जा सकेगा।

(ii) खनन संक्रियाओं से संबंधित स्वास्थ्य के खतरों से प्रभावित स्थानीय खान कर्मकारों के कल्याण, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति

के सुधार और सुरक्षा के लिए, राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रशासनिक बोर्ड के उपबन्धों के अधीन पात्र मरीजों/उनके विधिक वारिसों को अनुग्रह राशि के लिए, नियमित स्वास्थ्य जाँच शिविरों, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग किया जा सकेगा। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना कार्यान्वित की जा सकेगी :

परन्तु यह कि उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित परियोजनाएं और क्रियाकलाप अधिमानतः या तो निर्माण प्रचालन और अन्तरण आधार पर या एकल बिन्दु संविदा सेवाओं पर चलायी जायेंगी। इस प्रयोजन के लिए कोई अस्थायी या स्थायी पद सृजित नहीं किया जायेगा।

(घ) शिक्षा – विद्यालय के भवनों, अतिरिक्त अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय खण्डों पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण, खेल अवसंरचना, अध्यापक/अन्य सहायक कर्मचारिवृन्दों को लगाना, ई–लर्निंग सैट अप की व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा इत्यादि) और पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था।

(ड़) महिलाओं और बच्चों का कल्याण – मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रम इन स्कीमों के अधीन शुरू किये जा सकेंगे।

(च) वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण – वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

(छ) कौशल विकास – स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आजीविका सहायता, आय पैदा करने और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कौशल विकास । परियोजनाओं/स्कीमों में प्रशिक्षण, कौशल

विकास केन्द्र का विकास, स्व–रोजगार स्कीमों, स्व–सहायता समूहों को समर्थन और ऐसे स्व–रोजगार आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आगे और पीछे के संयोजन की व्यवस्था को सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ज) स्वच्छता– अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और व्ययन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास और मल–प्रवाह उपचार संयंत्र का व्यवस्था, मल कीचड़ के व्ययन के लिए व्यवस्था, शौचालयों और अन्य संबंधित क्रियाकलापों की व्यवस्था।

(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र – निधि का चालीस प्रतिशत तक इन शीर्षों के अधीन उपयोग में लिया जायेगा :

(क) भौतिक अवसंरचना – अपेक्षित भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराना – सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग परियोजनाएं।

(ख) सिंचाई – सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, सिंचाई की उपयुक्त और उन्नत तकनीकें अपनाना।

(ग) ऊर्जा और वाटरशैड विकास – ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (माइक्रो–हाइडल को सम्मिलित करते हुए) और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास, वृक्षारोपण, बाग–बगीचों, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी का विकास तथा जलग्रहण क्षेत्रों का प्रत्यावर्तन।

(घ) खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(II) सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त ;

(क) स्कीमों के अधीन न्यास द्वारा किये जाने वाले विकासात्मक और कल्याणकारी क्रियाकलाप, यथासंभव, राज्य के साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त–पोषित चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक की प्रकृति में होने चाहिए। 'Polluter pays principle' के अधीन किये जाने वाले

कियाकलाप न्यास द्वारा किसी भी स्कीम के अधीन नहीं किये जाने चाहिएं। तथापि, प्रतिष्ठान की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य और जिले की योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त किये जाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे, ताकि प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले कियाकलाप विकास और कल्याणकारी कियाकलापों के पूरक बन सकें और राज्य योजना के लिए अतिरिक्त–बजटीय स्रोतों के रूप में बरते जायें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियत की गयी ऊपरी सीमा के अध्यधीन, प्रतिष्ठान की वार्षिक प्राप्तियों की पाँच प्रतिशत से अनधिक रकम प्रतिष्ठान के प्रशासनिक, पर्यवेक्षणीय और उपरिलागत के लिए उपयोग में ली जा सकेगी। यथासंभव, न्यास के अधीन किन्हीं अस्थायी/स्थायी पदों को सृजित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी अस्थायी/स्थायी पद के सृजन और प्रतिष्ठान द्वारा यान के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि, न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ संविदात्मक आधार पर लगाया जा सकेगा।

(ग) यदि किसी एक जिले में किसी खान का प्रभावित क्षेत्र किसी अन्य जिले की अधिकारिता में भी आता है तो प्रतिष्ठान द्वारा खान से संगृहीत रकम का ऐसा प्रतिशत, अन्य संबंधित जिले के प्रतिष्ठान को, ऐसे क्षेत्रों में कियाकलाप चलाये जाने के लिए अन्तरित कर दिया जायेगा। कोई परियोजना, जो कि प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति के फायदे के लिए है, किन्तु जिसका फैलाव जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर तक है, को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात्, न्यास द्वारा इसे अपने अधीन लिया जाना चाहिए। निधि के उपयोग के लिए पूर्विकता की सीमा (एक करोड़ और उससे अधिक) के आधिक्य में सड़कों, पुलों, इत्यादि के संनिर्माण जैसी सामान्य अवसंरचना के विकास के लिए परियोजनाओं को भी, मामले दर मामले के आधार पर, जिले के लिए महत्ता वाली परियोजनाओं के रूप में लिया जा सकेगा। निधि के उपयोग की सीमाओं के आधिक्य में ऐसे कार्यों को शुरू करने से पूर्व,

केन्द्रीय सरकार को सूचना दिये जाने के साथ, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। निम्नलिखित राज्य स्तरीय सशक्त समिति ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के संबंध में विनिश्चय लेगी:–

(क) मुख्य सचिव

(ख) प्रमुख सचिव, खान तथा पेट्रोलियम

(ग) सचिव, वन

(घ) सचिव, लो.नि.वि.

(ड.) सचिव, सामाजिक न्याय और कल्याण

(च) सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(छ) निदेशक, खान एवं भू विज्ञान

(ज) वित्तीय सलाहकार, डी.एम.जी.

(झ) अतिरिक्त निदेशक (इ एण्ड डी), डी.एम.जी.

(घ) समिति की बैठक छह मास में एक बार आयोजित की जायेगी। दिन–प्रतिदिन के कार्य के लिए, निम्नलिखित समिति विनिश्चय लेने के लिए सक्षम होगी :–

(क) प्रमुख सचिव, खान तथा पेट्रोलियम

(ख) संयुक्त सचिव, खान

(ग) निदेशक, खान एवं भू विज्ञान

(घ) वित्तीय सलाहकार, डी.एम.जी.

(ड.) अतिरिक्त निदेशक (इ एण्ड डी), डी.एम.जी.

(च) संबंधित लाईन विभाग का प्रतिनिधि।

उपरोक्त समिति के विनिश्चयों का राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा उनकी अगली बैठक में अभिपुष्ट किया जायेगा।

(ड.) वार्षिक प्राप्तियों की उपयुक्त राशि, विन्यास निधि के रूप में अविरत आजीविका प्रदान किए जाने के लिए रखी जानी चाहिए।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध :

अनुसूचित क्षेत्रों में निधि के उपयोग के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी संविधान के अनुच्छेद 244

सपठित अनुसूची 5 और अनुसूची 6 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित की जायेगी। अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर अवस्थित खनन द्वारा प्रभावित, गाँवों के संबंध में :

(i) ग्राम सभा का अनुमोदन निम्नलिखित में अपेक्षित होगा,–

(क) प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. के अधीन प्रारंभ की गयी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के लिए।

(ख) सरकार के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन हिताधिकारियों की पहचान के लिए।

(ii) संबंधित ग्राम में न्यास के अधीन जिम्मे लिये गये कार्यों पर रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात्, ग्राम सभा को प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरण : ग्राम सभा का वही अर्थ होगा, जो उसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 40) के उपबंधों के कियान्वयन के प्रयोजन के लिए समनुदिष्ट किया गया है।

(5) कार्यों/संविदाओं का कियान्वयन :

(i) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपापनों के लिए विहित सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने के पश्चात्, न्यास द्वारा कार्य/माल उपाप्त किया जा सकेगा। माल और सेवाओं का उपापन, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा। कार्य का निष्पादन संबंधित कार्यपालक अभिकरणों के लेखा नियमों के उपबंधों या सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विशेष नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) समस्त अभिकरणों और हितधिकारियों को निधियों का अन्तरण किसी इलैक्ट्रोनिक संदाय प्रक्रिया द्वारा उनके बैंक खातों में किया जायेगा।

(6) पारदर्शिता का अनुपालन :

प्रत्येक न्यास एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिस पर, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की जायेंगी और अद्यतन रखी जायेंगी, अर्थात् :–

(क) न्यास/न्यास के निकायों (यदि कोई हों) की संरचना के ब्यौरे।

(ख) खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची।

(ग) पट्टेदारों और अन्यों से प्राप्त समस्त अंशदानों के तिमाही ब्यौरे।

(घ) न्यास की सभी बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त और की गयी कार्रवाई रिपोर्ट (ए टी आर)।

(ड.) वार्षिक योजनाएं और बजट, कार्य आदेश, वार्षिक रिपोर्ट।

(च) चालू संकर्मों की ऑनलाईन प्रास्थिति– न्यास द्वारा अपने जिम्मे ली गयी सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कियान्वयन की प्रास्थिति/प्रगति को, कार्य के विवरण, हिताधिकारियों के ब्यौरे, प्राक्कलित लागत, कार्यान्वयन अभिकरणों के नाम, कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण होने की संभावित तारीख, अन्तिम तिमाही तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति इत्यादि को सम्मिलित करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए।

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों की सूची।

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

16. प्रस्ताव के निष्पादन के लिए न्यास द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभिकरण .– (1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, सरकार के किसी भी अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा और कोई भी विशेष प्रस्ताव/परियोजना ऐसे अभिकरण के माध्यम से चलाये जाने के लिए समनुदेशित कर सकेगा।

(2) न्यास अर्हित अभिकरणों जैसे गैर–सरकारी संगठन, जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, को भी पैनलित कर सकेगा । तथापि, यथासंभव, उसी फील्ड में कार्य कर रहे सरकारी अभिकरण को पूर्विकता दी जायेगी।

17. व्ययों को प्रभारित करना .– न्यासी निम्नलिखित व्ययों को न्यास निधि से प्रभारित करने के हकदार होंगे, अर्थात् :–

(क) न्यास के संचालन या निष्पादन में और न्यास निधि में समाविष्ट विनिधानों और आस्तियों के आपन, परिरक्षण या फायदे के लिए, और न्यास के हितों की सुरक्षा के लिए सम्यक् रूप से उपगत समस्त व्यय ।

(ख) अंशदानों और या किन्हीं अन्य स्रोतों को अभिप्राप्त करने के लिए न्यासियों द्वारा उपगत समस्त व्यय (किसी करार या अन्य विलेखों के निष्पादन और/या रजिस्ट्रीकरण के आनुषंगिक व्ययों को सम्मिलित करते हुए), जो प्रोद्भूत हों ।

(ग) किसी विधिक सलाहकार की वृतिक फीस और लागत को सम्मिलित करते हुए, न्यास के कार्यों से संबंधित न्यासी द्वारा या उसके विरूद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के संबंध में समस्त व्यय।

(घ) न्यास के कार्यों के संबंध में संदत्त/संदेय समस्त उद्ग्रहणों, शुल्कों और अन्य प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, न्यास के संचालन या निष्पादन में उपगत समस्त विधिक और कानूनी व्यय।

(ड़) राज्य सरकार के मानकों के अनुसार इसकी बैठकें आयोजित करने और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में समस्त व्यय।

18. खाता और संपरीक्षा .– (1) प्रबंध समिति न्यास के कार्यों की सही और ऋजु तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में उचित लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अभिलेखों को संधारित करेगी/संधारित करवायेगी। लेखा पुस्तकें, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जी.एफ.एण्ड ए.आर.)या इस निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं विशेष नियमों के उपबन्धों अनुसार संधारित की जायेंगी। न्यास के खातों की संपरीक्षा कम से कम वर्ष के पूर्ण होने पर अर्हताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा करायी जायेगी। न्यास के लेखापरीक्षकों को न्यासियों द्वारा, शासी परिषद् की बैठक में, न्यासियों द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर, राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित

लेखापरीक्षकों की सूची में से नियुक्त किया जायेगा। लेखापरीक्षकों को राजस्थान के महालेखाकार के परामर्श से न्यासियों द्वारा हटाया और प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकेगी या महालेखाकार को ऐसी शर्तों पर जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें, किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि को ऑडिट करने के लिए अनुरोध कर सकेगी।

(3) न्यास अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्कीमों और परियोजनाओं के साथ अनुमोदित बजट और वार्षिक योजना, जिला परिषद्, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) न्यास तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर, अनुमोदित स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में भौतिक और वित्तीय निबंधनों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके तुरंत पश्चात् इसे जिला परिषद् और जिला प्रशासन को उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) न्यास अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर शासी परिषद् द्वारा इनके अनुमोदन के तुरंत पश्चात्, जिला परिषद्, जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(6) प्रत्येक प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

19. प्रशासनिक व्यवस्था .– (1) सरकार संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के कार्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाएं, न्यास के प्रबंध के लिए और वार्षिक योजना के क्रियान्वयन के लिए, जैसा भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगी।

(2) न्यास, सरकार से उसके अपने विभागों से अपेक्षित संख्या में कोर कार्मिकों या ऐसे ही अन्य काडर के नियमित कर्मचारियों से, न्यास को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकेगा। ऐसे कार्मिकों की सेवाएं उनके अपने संबंधित काडर में लगातार बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन के लिए उसकी प्रोद्भूत निधियों का तीन प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।

(3) न्यास सेवा प्रदाताओं से न्यास के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पर्क कर सकेगा जो आवश्यक हों और इसके कृत्यकरण के लिए आकस्मिक व्यय उपगत करने की व्यवस्था कर सकेगा।

20. न्यासियों के दायित्व .– (1) न्यासी, सम्यक् तत्परता से सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए दायी नहीं होंगे। न्यासी, किसी बैंकर, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति के प्रति भी दायी या उत्तदायी नहीं होंगे, जिसके हाथों में, ना तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों के मूल्य में कमी या अपर्याप्तता के लिए और ना ही अन्यथा किसी अस्वैच्छिक हानि के लिए सद्भावपूर्वक इसे निक्षिप्त या रखा जाये।

(2) न्यासी और प्रत्येक एटॉर्नी या, न्यासियों द्वारा नियुक्त किया गया अभिकर्ता न्यास या किन्ही शक्तियों, प्राधिकारों, और घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये गये दुराचार से उत्पन्न से भिन्न उनमें निहित या उन्हें प्रत्यायोजित विवेकाधिकार के कार्यान्वयन में समस्त दायित्वों, हानियों और उपगत व्ययों के संबंध में न्यास निधि में से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगें परन्तु ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में, अंशदानों के योग से अधिक नहीं होगी।

21. पारिश्रमिक .– न्यासी अपनी सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगें।

[सं. एफ.14(6) खान/ग्रेड II/2015]

राज्यपाल के आदेश से,

(कन्हैया लाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव